न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 270 अपील / 08/2017 .... मैना देवी .... बनाम .... जयनारायण आदि

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.3-18	पत्रावली पेश हुई। बहुलाय पक्षकारान उपस्थित। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दि० 20.5-1989 निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक के समस्त वारिसान को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय सम्मत निर्णय पारित करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर रिकार्ड हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 08 / 2013

लछमा देवी पुत्री स्व0 लादू पत्नी जगदीश, जाति–जाट, निवासी–सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर हाल निवासी–ग्राम बगडवा, तहसील–पीपलू, जिला–दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. प्रभु देवी पुत्री स्व0 लादू पत्नी छीतर, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला– जयपुर।
3. गलोल पुत्री स्व0 लादू पत्नी रामप्रसाद, जाति–जाट, निवासी–सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (राज0) हाल निवासी–ग्राम कुम्हारियावास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. प्रेम देवी पुत्री स्व0 लादू पत्नी शिवजीराम, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (राज0) हाल निवासी–ग्राम कुम्हारियावास, तहसील– चाकसू, जिला –जयपुर।
5. छोटा देवी पुत्री स्व0 श्री लादू पत्नी हनुमान, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (राज0) हाल निवासी–ग्राम नगर तहसील–निवाई, जिला–टोंक।
6. बरजी देवी पुत्री स्व0 श्री लादू पत्नी प्रकाश, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (राज0) हाल निवासी–ग्राम सुतपुरा, तहसील–निवाई, जिला–टोंक।
7. कमला देवी पुत्री स्व0 लादू पत्नी रामनारायण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम सरस्वतीपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (राज0) हाल निवासी–कल्याणपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
8. सायर देवी पुत्री स्व0 मंगलराम (माता श्रीमती मन्नी देवी पुत्री स्व0 लादू) जाति–जाट, निवासी–कुम्हारियावास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार फागी दिनांक 20.05.1989 नामान्तकरण संख्या 171 ग्राम–सरस्वतीपुरा)

उपस्थितः–

1. श्री हनुमानसहाय सिहांग, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की ओर से।
3. श्री मामराज जाखड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 की ओर से।
4. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक : 27.03.2018**

तहसीलदार, फागी ने ग्राम सरस्वतीपुरा की आराजी के खातेदार लादू, जाति–जाट की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 171 मृतक की

विधवा धापू व गौद पुत्र सत्यनारायण के नाम स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमानसहाय सिहाग का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 20.05.1989 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबधित पक्षकारान् को सुनवाई/साक्ष्य का न तो कोई नोटिस दिया और न ही कोई समुचित अवसर दिया। अपीलान्ट् एवं रेस्पोडेन्ट् संख्या 02 लगायत 8 मृतक लादू की जायन्दा पुत्रियां है। मृतक लादू की आराजी को जायन्दा पुत्रियां कानूनन प्राप्त करने की हकदार है परन्तु रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपने आपको लादू का दत्तक पुत्र बताते हुए अकेले अपने नाम व स्व0 श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व0 श्री लादू के नाम नामान्तरकरण धोखाधडी से स्वीकार करा लिया। जबकि मृतक की जायन्दा सन्तान पुत्रियां भी मौजूद है। फिर भी अवैधानिक तरीके से जायन्दा पुत्रियो को सजरा खानदान में नही दर्शाकर अवैध रूप से स्वयं के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया जबकि अपीलान्ट् के पिता लादू ने अपने जीवनकाल में किसी को गौद नहीं लिया था। अपीलान्ट् की माता धापू का भी देहान्त हो चुका है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति की मालिक अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 8 है। अपीलान्ट् का वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 78 कुल किता 12 रकबा 15 बीधा 7 बिस्वा में से 1/8 हि0 व खाता संख्या 79 में दर्ज हिस्सा 1/2 में से 1/8 एवं खाता संख्या 80 में दर्ज हिस्सा आठ आना में से 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 77 में दर्ज हिस्सा 1/2 में से 1/8 हिस्सा है और अपीलान्ट् अपने हिस्से अनुसार काबिज है। वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण था जिसे केवल ग्राम पंचायत को ही निर्णित किये जाने का अधिकार था किन्तु क्षेत्राधिकार से बाहर तहसीलदार ने तथ्यो की बिना जांच किये नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जिसे निरस्त फरमाया जावे। यदि नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाता तो मृतक लादू की पुत्रियां अपने हक से वंचित नही होती। मृतक की पुत्रियां लादू की जायन्दा पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है। मृतक ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को कभी गौद नही लिया और ना ही गौदनामें के कोई दस्तावेजात् निष्पादित

किये है। वैध दस्तावेजात् के अभाव में भी बिना आधार के रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी आधार के, बिना तथ्यो की जांच किये व मृतक की जायन्दा पुत्रियो को बिना सुनवाई साक्ष्य का नोटिस दिये अवैध रूप से नामान्तरकरण संख्या 171 स्वीकार किया हैं, जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई जावे। नामान्तरकरण संख्या 171 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट् के नाम स्वीकार करने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 8 के विद्वान् अभिभाषक श्री मामराज जाखड ने अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक द्वारा बहस में किये गये कथन का समर्थन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 171 निरस्त करने एवं हिस्से अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की इस्तदुआ की।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा मजमेंआम में स्वीकार की गई है। मजमेंआम में जो तथ्य सामने आये उसी के अनुरूप आज्ञा पारित की है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के विद्वान् अभिभाषक श्री दिनेश कुमार पारीक का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा राजस्व कैम्प मजमेंआम में स्वीकार की गई है जिसमें स्वयं उपसरपंच मौजूद थे। मृतक लादू की पत्नी धापू ने कैम्प में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 सत्यनारायण को लादू के जीवनकाल में ही गौद लिया जाना स्वीकार किया है और स्वयं के व सत्यनारायण के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने की सहमति दी है। शादी के पश्चात् पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा दिये जाने का प्रावधान नही है। इसीलिए पुत्र व विधवा के नाम वैध रूप से नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। समस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का कब्जा–काश्त है और अपीलान्ट् व अन्य रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 8 का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा–काश्त नहीं है। विवाह पश्चात् अपने ससुराल में निवास करती है। गौदनामें के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। मजमेंआम में गौद लेने वाले ने स्वयं ने सत्यनारायण को गौद लेना जाहिर किया है और नामान्तरकरण दत्तक पुत्र व विधवा के नाम स्वीकार किये जाने का कथन किया है। तथ्यों की मजमेंआम में जांच की जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अतः अपील–अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस किसी पक्ष द्वारा इस बात से इन्कार नही किया है कि अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् 2 लगायत 8 मृतक लादू की पुत्रियां नहीं है। अर्थात् अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 8 मृतक लादू की जायन्दा पुत्रियां है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय मृतक के सभी जायज वारिसों को सुनवाई का नोटिस/समुचित अवसर दिया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह जाहिर होता है कि मृतक लादू की पुत्रियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई साक्ष्य का कोई नोटिस/अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति को कानून सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है और प्रारम्भ से शून्य आज्ञा के विरूद्ध उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। दूसरी ओर पत्रावली में उपलब्ध ग्राम सरस्वतीपुरा की सम्वत् 2069–2072 की जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर होता है कि नया खाता संख्या 77, 78, 79 व 80 में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 सत्यनारायण की वल्दियत सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र व सत्यनारायण पि0मु0 लादू अंकित है। प्राकृतिक पिता व तथाकथित गौद पिता की आराजियात् का विरासत का नामान्तरकरण सत्यनारायण के नाम किस आधार पर हुआ है? सद्भाविक जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 20.05.1989 नामान्तरकरण संख्या 171 ग्राम सरस्वतीपुरा निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ तहसीलदार, फागी को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक लादू के संबधित जायज वारिसान को सुनवाई साक्ष्य का नोटिस दिया जाकर व दस्तावेजी साक्ष्य सबूत हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के गुणावगुण के आधार पर पुनः न्याय– सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर